राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–18/एम/नियु0/मृआ/2017/737 दिनांक 28/11/17

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंषा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा नियत 14600/– रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से लेवल इन पे–मेट्रिक्स एल–5 अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र0 सं0	आश्रित /मृतक कर्मचारी का नाम/ पता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु दी गई अभिशंषा का क्रमांक व दिनांक
1	श्री लुभांशु शर्मा पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, नर्स ग्रेड–I सेवगों की गली, किले के पास, फलौदी, जोधपुर।	15.08.98	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के अधीन	12309 दिनांक 07.06.2017
2	सुश्री हिना माथुर पुत्री स्व0 श्रीमती पूर्णिमा सरकार, नर्स ग्रेड–II निवासी 19/891, पूर्णिमा निवास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	20.08.98	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के अधीन	6198 दिनांक 20.04.2016

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि,शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.03.04 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण–पोषण करेंगे । नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क–2/88पार्ट दिनांक 21.09.10 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति पश्चात एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क–2/06 दिनांक 05.07.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढाया जा सकेगा जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबंधित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (51) डीओपी/ए–2 88 पार्ट दिनांक 14.06.2013 के अनुसार मृतक आश्रित के रूप मे कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जाती है।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के कम में संबंधित मु.चि. एव स्वा. अधि./प्रमुख चिकि. अधि./अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगी।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा ।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(4)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(5)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 परिपत्र क्रमांक एफ1(4)एफडी/रूल्स/2017–I–II दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र क्रमांक एफ12(9)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों से शासित होगी ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– ई–18/एम/नियु0/मृआ/2017/ 737 दिनांक 28/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
3– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5– वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
6– संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन .... ।
7– संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह................/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,........ ..../प्रमुख चिकित्सा अधिकारी................... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।
नोटः–सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्टर्ड पत्र)
8– प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय ।
9– प्रभारी सर्वर रूम कों भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10–संबंधित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
11–आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।